सं. 19051/1/2017-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 02 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना - परिधान भत्ता।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए विनिश्चयों के परिणामस्वरूप, वर्दी से संबंधित भत्तों यथा- वस्त्र भत्ता, प्रारंभिक उपकरण भत्ता, किट रखरखाव भत्ता, पोशाक भत्ता, पोशाक रखरखाव भत्ता, जूता भत्ता, वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता, जो एकल परिधान भत्ते में मिला दिए गए हैं, से संबंधित विद्यमान आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्र सरकार के निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में परिधान भत्ते की दरें निम्नलिखित प्रकार से विनिश्चित करते हैं:

क्र.सं.	**कर्मचारी का वर्ग**	**वार्षिक दर (रुपए)**
1.	विशेष सुरक्षा दल ऑपरेशनल विशेष सुरक्षा दल गैर-ऑपरेशनल	27,800/- 21,225/-
2.	थल सेना/भारतीय वायु सेना/नौसेना/सीएपीएफ/सीपीओआरपीएफ/ आरपीएसएफ/भारतीय पुलिस सेवा/तटरक्षक के अधिकारी	20,000/-
3.	एमएनएस अधिकारी, डीएएनआईपीएस के अधिकारी/दिल्ली पुलिस/अन्य संघ क्षेत्रों के एसीपी	15,000/-
4.	सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद और स्वापक विभाग का कार्यपालक स्टाफ (गर्मी और गर्मी-सह-सर्दी दोनों में), इंडियन कोरपोरेट लॉ सर्विस के अधिकारी, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के विधि अधिकारी, आव्रजन ब्यूरो के कार्मिक (आव्रजन ब्यूरो की मुम्बई, चेन्नै, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता और सभी जांच चौकियों में) रक्षा सेवाओं सीएपीएफ/आरपीएफ/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक के पीबीओआर, भारतीय रेल के स्टेशन मास्टर।	10,000/-
5.	कर्मचारियों के अन्य वर्ग जिन्हें वर्दी उपलब्ध कराई जाती है और जिन्हें नियमित रूप से वर्दी पहननी होती है जैसे भारतीय रेल के ट्रेकमेन, चालक स्टाफ, स्टाफ कार ड्राइवर, एमटीएस, गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनों का स्टाफ आदि	5000/-
6.	नर्सें	1800/- प्रति माह

2. वर्दी के रखरखाव, धुलाई से संबंधित भत्ते परिधान भत्ते में मिला दिए गए हैं और ये अलग से देय नहीं होंगे।

3. इसके अतिरिक्त, ऐसे वर्गों के कर्मचारियों को जिन्हें पहले वर्दी प्रदान की जा रही थी, अब वर्दी प्रदान नहीं की जाएगी।

4. परिधान भत्ते की राशि वर्ष में एक बार जुलाई माह में सीधे कर्मचारियों के वेतन में जमा कर दी जाएगी।

5. इस भत्ते में कर्मचारियों की केवल मूल वर्दी शामिल है। कोई विशेष वस्त्र जो सियाचिन ग्लेशियर पर या पनडुब्बी के अंदर उपलब्ध कराए जाते हैं अथवा भारतीय रेल के ट्रेकमेन को या अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात आसूचना ब्यूरो के कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रतिदीप्त वस्त्र विद्यमान मानकों के अनुसार संबंधित मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते रहेंगे।

6. भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले पोशाक भत्ते में 50% की वृद्धि की जाती है और यह पहले की तरह प्रदान किया जाता रहेगा।

7. जब भी महंगाई भत्ते में 50% वृद्धि होगी, हर बार परिधान भत्ते की दरें 25% बढ़ जाएंगी।

8. **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

9. रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कोरपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राजस्व विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

10. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।